संख्या:167/2022/533/35-4-2022/001-35-4099/43/2022

प्रेषक,

विवेक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 07 जून, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद आगरा में सड़क निर्माण से सम्बंधित 07 कार्यों की त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-15/2021/168/35-4-2021 दिनांक 09 फरवरी, 2021 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये कार्यों की अनुमोदित लागत रू. 1736.56 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू. 868.28 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी, आगरा के पत्र संख्या-112/अर्थ एवं संख्या/त्व0आ0वि0यो0/ 2020-21, दिनांक 18 मई, 2022 द्वारा उक्त 07 कार्यों में से 03 कार्यों हेतु प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण व्यय होना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित 03 कार्यों हेतु लागत रू. 250.76 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त रू. 125.39 लाख की धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष देय रू. 125.37 लाख (रूपये एक करोड़ पचीस लाख सैतीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

	कार्य	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	ग्राम सवाई से विहारीपुर रोड तक एत्मादपुर आगरा शून्य से लेपन कार्य	77.48	38.75	38.73
2	ग्राम टेहू से नगला स्वरूप तक नवनिर्माण	75.18	37.59	37.59
3	ग्राम सोमपाल की ठार से मुरेरा तक सड़क नवनिर्माण	98.10	49.05	49.05
	योग:	**250.76**	**125.39**	**125.37**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 09 फरवरी,2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2023 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक-30 दिसंबर, 2021 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,25,37,000 (रूपये एक करोड़ पचीस लाख सैतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखा शीर्षक 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विवेक)
विशेष सचिव।

संख्या:167/2022/533/35-4-2022/001-35-4099/43/2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0।
9- मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आगरा।
13- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, आगरा।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विवेक)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in